

मेसर्स एमआईडीसी-केसुरडी-एसईजेड के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपूज-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 28.03.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अनुमोदन समिति की 53 वीं बैठक का विवरण।

1	सेज का नाम	मेसर्स एमआईडीसी-केसुरडी-एसईजेड
2	सेक्टर	IT/ITES
3	बैठक क्र	53 वीं
4	तारीख	28.03.2024

#### उपस्थित सदस्य

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्रीमती भारती आहूजा सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	डॉ. दिलीराज दाभोले, उप निदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती सुनीता जगताप, सीमा शुल्क अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

#### विशेष आमंत्रित

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्री डी.बी. मोरे, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपूज-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर **01**: दिनांक **09.02.2024** को आयोजित **52** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 09.02.2024 को आयोजित 52 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा आइटम नंबर **02**: मेसर्स एडिकॉन न्यूमेटिक टूल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा शुल्क लाभ प्राप्त करने के साथ कैप्टिव खपत के लिए छत पर गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विचार विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.03.2024 के अनुसार,

शुल्क लाभ का लाभ उठाने के साथ कैप्टिव खपत के लिए छत पर गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जैसा की नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

1	सौर ऊर्जा संयंत्र के विक्रेता का नाम	मैसर्स श्री इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स
2	विक्रेता-सेवा	सौर पीवी परियोजना की स्थापना.
3	क्षमता	480 किलोवाट
4	क्षमता में वार्षिक उत्पादन	700800 KWH
5	Total Expenditure	Rs.1.75 Cr.

अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- इकाई को राज्य सरकार/विद्युत विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी शर्त/सुरक्षा उपाय को पूरा करना होगा।
- उत्पादित गैर-पारंपरिक सौर ऊर्जा का उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा और इसे बाहर नहीं बेचा जाएगा।
- यदि बिजली उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट से अधिक है तो वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराएंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई

Minutes of the 53<sup>rd</sup> Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for Manufacturing Sector of MIDC-Kesurdi-SEZ, held on **28.03.2024** via video conference

1	Name of the SEZ	MIDC-Kesurdi-SEZ
2	Sector	Manufacturing
3	Meeting No.	53 <sup>rd</sup>
4	Date	28.03.2024

**Members present**

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Sunita Jagtap Superintendent	Nominee of Customs, Pune

**Special Invitee**

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. D. B. More Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

**Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 52<sup>nd</sup> meeting held on 09.02.2024**

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 52<sup>nd</sup> meeting of Approval Committee held on 09.02.2024.

**Agenda Item No. 02: Application for approval of installation of rooftop Non-conventional Solar power Plant, for captive consumption with availing of duty benefits submitted by M/s. Edicon Pneumatic Tools Company Ltd.**

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for installation of rooftop Non-conventional Solar Power Plant, for captive consumption with availing of duty benefits, in terms of Office Memorandum dated 07.03.2024 issued by MOC&I, as detailed below:

1	Name of the Vendor of Solar Power Plant	M/s. Shree Engineers & Contractors
2	Vendor-Service	Setting up of a solar PV project.
3	Capacity	480 KW
4	Annual Generation in capacity	700800 KWH



5	Total Expenditure	Rs.1.75 Cr.
---	-------------------	-------------

The approval is subject to the following conditions:

- The unit will have to fulfil any conditions / safeguards laid down by the State Government / Electricity department, from time to time.
- The non-conventional solar power generated will be used only for captive consumption and will not be sold outside.
- Captive generation power plants with capacity 500 KW and above has to be registered with Central Electricity Authority. They will register with Central Electricity Authority if power generation capacity exceeds 500 KW.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

राजेश  
12.04.2024

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)  
(Rajesh Kumar Mishra, IRS)  
अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त  
Chairman-cum- Development  
Commissioner